—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 35/2024

उनवान

1. रामधन
2. रामरतन
3. सोदान पुत्र पांचू समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. कालू पुत्र भोलू जातिजाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद,

—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
2 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 8/7/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 145/1303 रकबा 0.23 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी पर बिना किसी कारण दखलदांजी कर रहा है तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 53, वंर्किग खसरा नम्बर 82 रकबा 1—8—10 अप्रार्थी संख्या 1 के पिता कालू पुत्र भोलू के पुश्तैनी कब्जे काश्त की है। पूर्व राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी सिवायचक दर्ज है। सिवायचक आराजी पर निषेधाज्ञा पारित नही की जा सकती है। मौके पर गत 50 वर्षो से अप्रार्थी संख्या 1/पूर्वज का कब्जा ही है। गत 12 वर्ष से कब्जा अप्रार्थी का होने के कारण प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। धारा 183 के तहत प्रकरण प्रस्तुत नही करने से आवेदन पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :—

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 145/1303 रकबा 0.23 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी पर बिना किसी कारण दखलदांजी कर रहा

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

है तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 53, वंर्किग खसरा नम्बर 82 रकबा 1–8–10 अप्रार्थी संख्या 1 के पिता कालू पुत्र भोलू के पुश्तैनी कब्जे काश्त की है। पूर्व राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी सिवायचक दर्ज है। सिवायचक आराजी पर निषेधाज्ञा पारित नही की जा सकती है। मौके पर गत 50 वर्षो से अप्रार्थी संख्या 1/पूर्वज का कब्जा ही है। गत 12 वर्ष से कब्जा अप्रार्थी का होने के कारण प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। धारा 183 के तहत प्रकरण प्रस्तुत नही करने से आवेदन पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की खातेदारी की है। वंर्किग जमाबंदी व चौसाला जमाबंदी में उक्त आराजी सिवायचक दर्ज है। प्रार्थीगण को उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 13.12.02 को जरियें छोटी पट्टी नियमन के प्राप्त हुयी है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त नियमन आदेश के विरूद्व कोई चाराजोही नही की है। उभयपक्ष भूमि पर अपना–अपना कब्जा होने का कथन करते है। किन्तु कब्जे के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से ही निर्णित होगे। प्रार्थीगण राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक सिद्व नही होता है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार निहित नही है। उसके द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी की जाती है तो अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :–

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 145/1303 रकबा 0.23 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 को मूल वाद के निसतारण तक जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मोके की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:56 IST
Reason: SelfAttested